

प्रेसनोट दिनांक 03.09.2023

1. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री सत्यप्रकाश यादव थाना को0नगर द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश कुमार पुत्र शिवनाथ नि0 धरहरा थाना खण्डासा अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 568/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार राय थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धीरज गुप्ता पुत्र नन्दकिशोर नि0 हैदरगंज थाना को0नगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 569/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विश्वनाथ उर्फ लोधे पुत्र रामराज नि0 कोटसराय थाना कैण्ट अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 1200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 308/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अरविन्द गुप्ता थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी विजय बहादुर नि0 रेतिया थाना कैण्ट अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 310/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रजत पाण्डेय थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि हरिओम निषाद पुत्र मिट्ठू नि0 गुप्तारघाट थाना कैण्ट अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 312/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री कमलेश कुमार थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामजन्म कहार पुत्र रामराज नि0 ग्राम पण्डित का पुरा हरदी थाना गोसाईगंज अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 234/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रामविलास वर्मा थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनिल कुमार पुत्र गैसराम नि0 पम्पारपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 235/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रामप्रकाश मिश्रा थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामजन्म निषाद पुत्र मिन्टू नि0 सरायरासी थाना महाराजगंज अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 259/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रामप्रकाश मिश्रा थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामतेज पुत्र टिडी नि0 सरायरासी थाना महाराजगंज अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 260/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 02.09.23 को वादी मु0आरक्षी बालेन्द्र प्रताप सिंह थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सालिकराम पुत्र रामकिशोर नि0 गोपालपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर

कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 430/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 02.09.23 को वादी मु0आरक्षी मेराजुल हसन थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अलखू पुत्र सुकई नि0 दत्तनगर थाना नवाबगंज गोण्डा |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 431/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अमित सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रंजीत पुत्र पूर्णवासी नि0 तोरोमाफी थाना को0बीकापुर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 431/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 02.09.23 को वादी म0उ0नि0 पूजा राज थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी स्व0 राजेश नि0 दराबगंज थाना को0बीकापुर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 432/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अभिनन्दन पाण्डेय थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामबचन उर्फ बच्चन निषाद पुत्र तिलकराम नि0 बरांव थाना तारून अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज अपमिश्रित व बनाने का उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 234/23 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मंगल मांझी पुत्र रामेश्वर नि0 अगबिल थाना कसार शिवपुरा बिहार |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 374/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अनुराग पाठक थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि प्रेमनाथ पुत्र केसरी नि0 लोनिया थाना इनायतनगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 375/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रमेश कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मनसू पुत्र रामदेव नि0 पुल्लू का पुरवा थाना इनायतनगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 376/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री बृजेश कुमार यादव थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पंकज कुमार पुत्र गोकुल नि0 शेखपुरा थाना इनायतनगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 377/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जयप्रकाश उर्फ पिन्दू पुत्र रामबदन नि0 जगन्नाथपुर थाना कुमारगंज अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 154/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20 दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी राममिलन नि0 गहनाग थाना खण्डासा अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 15 लीटर कच्ची

शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 177/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रामराज चौधरी थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विक्रम कुमार पुत्र छंगू नि0 सराय हामिद थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 428/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

22. दिनांक 02.09.23 को वादी आरक्षी आसिफ अली थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बबलू रावत पुत्र मंशाराम नि0 मवई थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 123/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

23. दिनांक 02.09.23 को वादी मु0आरक्षी मो0 फारूख थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बालगोविन्द रावत पुत्र सालिकराम नि0 रजनपुर थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 124/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

24. दिनांक 02.09.23 को वादी मु0आरक्षी हैदरअली थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पन्नालाल पुत्र रामआसरे नि0 रजनपुर थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 125/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

25. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द कुमार पुत्र सन्तराम नि0 बाकरपुर थाना बाबा बाजार अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु0अ0सं0 110/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

26. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रामकरन प्रसाद थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि देशराज उर्फ दसई पुत्र देवकली नि0 हुसैनगंज थाना पटरंगा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 189/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

27. दिनांक 02.09.23 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मिथिलेश रावत पुत्र रामदत्त नि0 पुरांय थाना पटरंगा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 190/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।